न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
दावा संख्या : 240/2013(659/1996)
निर्णय दिनांक : 12.08.2025

उनवान

1. मोहनलाल शर्मा
2. राधेश्याम शर्मा
3. प्रहलाद किशोर शर्मा
4. पुत्र श्री सूरजमल शर्मा जाति ब्राम्हण, साकिन श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर हाल जयपुर मकान नम्बर 2021 तोलाराम पालीवाल की गली, नाहरगढ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सूरजमल जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर।(दौराने वाद मृतक)

1/1 लल्लूनारायण पुत्र रामेश्वर
1/2 संजय कुमार पुत्र रामेश्वर
1/3 गैंदी देवी बेवा रामेश्वर
समस्त जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर।

2. श्रीमती गुल्ली बेवा घासी पुत्र भूरा जाति ब्राम्हण निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदारजी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. डॉ सुनीत राणावत पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
5. श्रीमती संध्या राणावत पुत्र स्व0 श्री सूनीत राणावत
निवासीयान म0न0 47, सुरेन्द्र पाल कॉलोनी, न्यु सांगानेर रोड, सोडाला
6. रामसहाय पुत्र नारायण, जाति ब्राम्हण, निवासी कोकावास तहसील सांगानेर,जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकासमा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण ने दावा इस्तकरार हक व तकासमा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर स्थित आराजीयात खाता संख्या 5/133 के खसरा नम्बर 125 रकबा 13 बिस्वा मक्का वाली, खसरा नम्बर 165/1 रकबा 5 बिस्वा नाक्या, खसरा नम्बर 165/2 रकबा 5 बिस्वा नाक्या, खसरा नम्बर 167 रकबा 1 बिघा उपरली, खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बिस्वा मन्दिर, खाता संख्या 111/50 के खसरा नम्बर 70 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा टीबावाला, खाता संख्या

Scanned with CamScanner

6/134 के खसरा नम्बर 113 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा टुकडी, खाता संख्या 113/51 के खसरा नम्बर 75 रकबा 19 बिस्वा ढाई बीचली, खाता संख्या 12 के खसरा नम्बर 124 रकबा 11 बिस्वा मक्का वाली, खसरा नम्बर 169 रकबा 1 बिस्वा बाडा, खाता संख्या 153/91 खसरा नम्बर 103 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा खातवाली, खाता संख्या 112/72 खसरा नम्बर 491 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा मोलाडी स्थित है। जिनके वर्तमान बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बरान 64, 65, 6/1081, 104, 102, 116, 131, 130, 153, 155/105, 155, 158, 159, 160, 690, 611, 612, 635 कुल रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा बने। वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर सगे भाई है।, और इनके पिता श्री सूरजमल तथा औकार पुत्र जानकीलाल ब्राम्हण साकिन श्रीरामपुरा तहसील संगानेर एक ही खानदान से है। ये दोनो सूरजमल व औकार वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 125, 165/1, 165/2, 167, 168, 70, 113, 75, 124, 169, 103 को व हिस्सा बराबर बतौर खातेदार काबिज रहकर काबिज काश्त करते थे, तथा भूमि खसरा नम्बर 491 को भूरा पुत्र रामकुमार के साथ बहिस्सा बराबर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्त करते थे। अर्थात खसरा नम्बर 491 में सूरजमल औंकार का 1/2 भाग तथा भूरा पुत्र राजकुमार का 1/2 भाग था। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता सूरजमल का देहान्त सं0 2001 से करीब हो गया । जब सूरजमल का देहान्त हुआ उस समय वादी संख्या 1 मोहनलाल की आयू 8 वर्ष वादी नम्बर 2 राधेश्याम की आयु 4 वर्ष तथा वादी नम्बर 3 प्रहलादकिशोर की आयु 1 वर्ष थी। प्रतिवादी नम्बर 1 ही वादीगण का सरंक्षक था और कर्ता खानदान था। वादीगण की अल्पवयस्कता का अनुचित लाभ उठाने के उद्येश्य से बन्दोबस्त हाल सं0 2011 के समय प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त औकार से मिलकर वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 124, 169, 103 पर तनाह अपना तथा भूमि खसरा नम्बर 113, 75, व 491 पर उक्त औकार के साथ अपना नाम रेवेन्यफ रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। तथा खसरा नम्बर 125, 165/1, 165/2, 167, 168, 70, पर औकार का नाम दर्ज करा दिया जबकि इस आराजी को सूरजमल औकार दोनों बहिस्सा बराबर काश्त करते थे। जबकि सूरजमल की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। उक्त औंकार जिसका उल्लेख वाद खण्ड 2 में किया गया है।, का देहान्त संवत 2012 व 13 के करीब हो गया है। इस औकार के देहान्त के पश्चात कानूनन वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 का उसके हिस्से की भूमि में समान भाग होता है मगर प्रतिवादी नम्बर 1 ने औकार के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बरान 125, 165/1, 165/2, 167, 168, 70 व 491 पर भी अपने को औकार का दत्तक पुत्र बतलाकर जरिये नामान्तकरण नम्बर 26 ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलकर अपना नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया

Scanned with CamScanner

जबकि औंकार ने कभी प्रतिवादी नम्बर 1 को गोद नही लिया। वादीगण जब स्वयं खेती का कम धन्धा करने योग्य हो गये और वयस्क हो गये तब उन्हे प्रतिवादी नम्बर 1 ने अलग कर दिया और वादीगण(तीनों भाई) मिलकर अलग रूप से वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में सें भूमि खसरा नम्बर70, 75, 103, 113, 165/1 तथा 125 को तथा भूमि खसरा नम्बर 167 में से 10 बिस्वा को व जानिब पूरब काबिज रहकर काश्त करने लग गये और राज्य में लगान जमा कराने लग गये, आज भी वादीगण इन नम्बरान की भूमि पर काबिज है, और काश्त करते है, भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 10 बिस्वा व जानिब पश्चिम तथा खसरा नम्बर 491 को व शमूल प्रतिवादी नम्बर 2 तथा भूमि खसरा नम्बर 125, 165/2, 124, 169 को प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज रहकर काश्त करने लग गया और आज भी वह इसी कदर काबिज है और काश्त करता है। और लगान देता है। बन्दोबस्त हाल में भूमि जिसका उल्लेख वाद खण्ड 1 में किया गया है प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना व औकार का नाम गलत दर्ज करा लिया इसके उपरान्त भी सन 171 तक प्रतिवादी नम्बर 1 में भूमि खसरा नम्बर 70, 75, 103, 113, 165/1, 125 व 167 के 10 बिस्वा में वादीगण को कभी काश्त करने से नही रोका न कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किा इसलिए वादीगण ने रेवेन्यु रेकार्ड को दुरूस्त कराने की आवश्यकता अनुभव नही की। मगर इन्द्राज को लम्बा समय हो जाने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 के दिल में फिर बेईमानी आई, और उसने वादीगण के विरूद्ध सर्वप्रथम दिनांक 03.02.1978 को सहायक कलक्टर साहब जयपुर के नयालय में इस्तकरार हक व हुक्म इस्तनाई का दावा पेश कर तनाह पअने को ही उक्त भूमि का खातेदार होने का क्लेम किया है। तथा इस दावे के पश्चात प्रतिवादी नम्बर 1 कुल मिमि वाद खण्ड 1 पर अपना कब्जा जताने के अभिप्राय से वादीगण से झगडा फिसाद करता है और वादीगण के कब्जे की भूमि से उन्हे बेदखल करना चाहता है। प्रतिवादी नम्बर 1 की इन हरकतों को देखकर वादीगण को अपने अधिकार खातेदारी घोषित कराने व भूमि का बंटवारा करने लिए यह दावा पेश करने को मजबूर होना पडा है। सूरजमल व औकार जिसका उल्लेख उपर किया गया हैं कि मृत्यु के पश्चात भूमि जिसका वर्णन वाद खण्ड 1 में किया गया है। में कानूनन वादीगण 3/4 भाग व प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर 1/4 भाग के अनुसार खातेदार काश्तकार है और वादीगण इसी कदर अपना हिस्सा घोषित कराने के मुस्तहक है। बन्दोबस्त हाल के रिकार्ड आफ राईटस में भूमि जिसका उल्लेख वाद खण्ड 1 में किया गया है। पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना व औकार का नाम गलत लिखया है, और औकार की मृत्यु के पश्चात केवल अपने नाम नामान्तकरण नम्बर 26 अपने को औकार का दत्तक पुत्र बतलाकर गलत दर्ज कराया है, जबकि वास्तव में बन्दोबस्त के समय और औकार की मृत्यु के पश्चात वादीगण

Scanned with CamScanner

का नाम भी प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ रिकार्ड आफ राईटस में दर्ज होना चाहिए था। इस गलत इन्द्राज के कारण ही वादीगण का बिनाय मुखासमत दावा हाजा उत्पन्न हुई है। वादखण्ड 2 में वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 491 में आधा हिस्सा भूरा पुत्र रामकुमार का है, मगर इस भूरा और इस भूरा और इसके लडके घासी का देहान्त हो गया है भूरा व घासी की मृत्यु के पश्चात उनके आधे हिस्से पर भूरा के लडके घासी की पत्नि श्रीमती गुल्ली काबिज है, इसलिए उसे भी प्रतिवादी बनाया जाता है। वाद खण्ड 1 मं वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 169 मे मंदिर है खसरा नम्बर 165/1 में वादीगण का मकान बना हुआ है। तथा खसरा नम्बर 168 में रास्ता है इस कारण इन तीनों खसरा नम्बरों की भूमि नाकाबिल तकासमा है। वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है, अतः न्यायालय को वाद सूनवाई का अधिकार है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 491 के 1/2 भाग में वादीगण 3/4 भाग व प्रतिवादीगण नम्बर 1 रामेश्वर 1/4 के को–टिनेन्ट है। वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 125, 165/1, 165/2, 167, 168, 70, 113, 75, 124, 169, 103 में वादीगण 3/4 भाग व प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर 1/4 भाग के अनुसार को–टिनेन्ट है। वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 169, 168 को छोडकर शेष भूमि का बटवारा किया जावे और खसरा नम्बर 165/1 पर वादीगण का कब्जा बहाल रखते हुए वादीगण को उनके हिस्से 3/4 की भूमि अलग की जाकर उस पर वादिगण का कब्जा कराया जावे। और उसी कदर लगान का निर्धारण किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टरर्ड नोटिस जारी किये गये। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा इस आशय से पेश किया कि सूरजमल के नाम कोई जमीन नही है और न सूरजमल जो कभी खुद काश्त करते ही थे वा तो सांगानेर में नौकरी करते थे इसलिए काश्त की जमीन का सवाल ही नही। खसरा नम्बर 70, 125, 165/2, 165/2, 167, 169 औंकार के खातेदारी थी जो प्रतिवादी नम्ब के उसके गौद जाने से उसकी हो गई खसरा नम्बर 113, 75 औंकार व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम थी जो औंकार के गौद जाने से उक्त खसरे में प्रतिवादी नम्बर 1 की पूरी हो गई। खसरा नम्बर 124, 103, 169 प्रतिवादी की स्वय की जमीन है व स्वय के नाम से काश्त होती है। खसरा नम्बर 491 में गुल्ली व औंकार आधे–आधे के खातेदार थे औंकार के गोद जाने से उक्त खसरे में प्रतिवादी नम्बर 1 का आधा हिस्सा हुआ। श्री सूरज मल का देहान्त संवत 2001 में जरूर हुआ मगर प्रतिवादी नम्बर 1 संवत 1956 में औंकार के गोद चला गया था। प्रतिवादी नम्बर

Scanned with CamScanner

1 औकार के संवत 1956 में गौद गया था औकार की जायदाद से वादीगण का हक का सवाल नही कारण कि प्रतिवादी नम्बर 1 उसके गोद जाने से अकेला ही मालिक था व है। उक्त खसरा नम्बरान में वादी की कतई काश्त नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 के संवत 1956 में गौद चले जाने से वादीगण को वयस्क होने पर अलग कर दिया। प्रतिवादी स्वय गोद चले जाने पर व वह स्वय अलग हो गया। प्रतिवादी नम्बर का स्वय की जमीन व और की जमीन पर गोद जाने से अकेला मालिक व काबिज है। प्रतिवादी ने दावा हुक्म इम्तनाई का जरूय किया जिसमें वादीगण को पाबन्द किया है। कि वह दखल न करे। सूरजमल के पास कोई काश्त की जमीन थी ही नही एवं औकार के प्रतिवादी नम्बर 1 के गोद जाने से उसकी जायदाद का मालिक बना। प्रतिवादी नम्बर 1 औंकार के गोद गया था व रिकार्ड में इन्द्राज भी ठीक हुए है। वादी बिना कब्जे के दावे के काबिज चलाने के नही है। वादी गलत है। दावा काबिले इखराज है। प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम रिकार्ड आफ राईटस में दर्ज हुए काफी अर्सा हुआ मियाद में केन्सीलेशन की कार्यवाही न करने से दावा काबिल चलने के नही है। अतः जवाबदावा पेश कर प्रार्थना है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से इस आशय से जवाब पेश किया कि भूमि विवादग्रस्त में से खसरा नम्बर 70, 125, 165/1, 165/2, 167 एवं 168 के पूर्व अभिलिखित खातेदार काश्तकार स्व. श्री औंकार पुत्र स्व. श्री जानकीलाल थे और प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता श्री सूरजमल के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि विवादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई तथा वह ही भूमि विवादग्रस्त पर काबिज रहकर काश्त करते रहे है। भूमि विवादग्रस्त में से खसरा नम्बर 124, 103, 169 प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिससे वादीगण का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है एवं भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 113 व 75 स्व. श्री औंकार एवं प्रतिवादी संख्या 1 की 1/2–1/2 हिस्से की भूमि थी जो श्री औंकार के स्वर्गवास के पश्चात् सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित की गयी। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी बाल्यावस्था में ही स्व. श्री सूरजमल जी ने स्व. श्री औंकार को गोद दे दिया था । वादीगण अथवा उनके हक पूर्वाधिकारी का भूमि विवादग्रस्त से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं था। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को स्व. श्री औंकार ने संवत् 1956 में ही दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया था फलस्वरूप औंकार के स्वर्गवास के पश्चात् उनके नाम अंकित सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित की गयी । वादीगण का स्व. श्री औंकार के नाम अंकित भूमि में कोई हक व हिस्सा उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। भूमि विवादग्रस्त के किसी भी भू–भाग पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही उन्होंने कभी भूमि विवादग्रस्त को काश्त ही किया है। भूमि विवादग्रस्त पर पहले प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं काबिज रहकर

Scanned with CamScanner

काश्त करता रहा और भूमि विवादग्रस्त को क्रय करने के पश्चात् उत्तरदाता प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा लगान राज्य सरकार को अदा करते रहे। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि विवादग्रस्त में वादीगण अथवा उनके हक पूर्वाधिकारी का नाम हटवाकर कभी अपने नाम खातेदारी अंकित नहीं करवाई। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। भूमि विवादग्रस्त में जब वादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री सूरजमल जी का ही कोई हक व हिस्सा नहीं था तथा ना ही कभी भूमि विवादग्रस्त स्व. श्री सूरजमल अथवा उनके स्व. पिता के नाम अंकित ही रही तो वादीगण का उक्त भूमि विवादग्रस्त में 3/4 हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रतिवादी संख्या 1 भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 124, 103 एवं 169 का खातेदार कृषक है और खसरा नम्बर 70, 125, 165/1, 167, 168 एवं 169 औंकार की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसका दत्तक पुत्र होने की वजह से अंकित की गयी तथा खसरा नम्बर 113, 75 शुरू से ही प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके दत्तक पिता औंकार के नाम 1/2–1/2 हिस्से में अंकित थी और औंकार के नाम अंकित 1/2 हिस्से की भूमि औंकार के स्वर्गवास के बाद नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित की गयी। वादीगण को भू–अभिलेखों के उक्त इन्द्राजात की शुरू से ही जानकारी थी। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के हक पूर्वाधिकारी का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा था और वे ही उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार थे इसलिये उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 का नाम अंकित किया गया और मिन उत्तरदातागण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने बाकायदा प्रतिफल अदा कर भूमि विवादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकारों से साबिका खसरा नम्बर 491 जिसके नये नवर 611, 612 व 635 कुल रकबा 1.84 हैक्टे० बने हैं को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा नियमानुसार क्रय किया है और भूमि विवादग्रस्त को क्रय करने के पश्चात् नियमानुसार क्रय की गयी भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा दिनांक 21.1.1998 को तहरीर व तकमील किया गया विक्रय पत्र विधि अनुसार एवं विधि अन्तर्गत है । मिन उत्तरदातागण को भूमि विवादग्रस्त के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद की पूर्व से कोई सूचना नहीं थी और मिन उत्तरदातागण भूमि विवादग्रस्त से सद्भावी क्रेता है भूमि विवादग्रस्त शुरू से प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के नाम अंकित चली आ रही है तथा उन्हीं का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभिलिखित खातेदार काश्तकार द्वारा किया गया विक्रय पत्र किसी भी प्रकार से प्रभाव शून्य नहीं हो सकता है। वादपत्र के साथ विधि न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है और वाद, वादी खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मिन उत्तरदातागण ने भूमि विवादग्रस्त में से साबिका

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 491 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 611 रकबा 0.89 हैक्टे0, 612 रकबा 0.80 हैक्टे0, 635 रकबा 0.15 हैक्टे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 हैक्टे0 में प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 का सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा 1,50,000/–रू. प्रतिफल के रूप में अदा कर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21 जनवरी, 1998 क्रय किया और विक्रेतागण से उक्त क्रय की गयी भूमि का विधिवत वास्तविकता कब्जा प्राप्त किया गया तभी से मिन उत्तरदातागण उक्त क्रय की गयी भूमि विवादग्रस्त पर स्वतंत्र रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मिन उत्तरदातागण भूमि विवादग्रस्त के सद्भावी क्रेता है जिनको पूर्व में भूमि विवादग्रस्त के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही माननीय न्यायालय द्वारा भूमि विवादग्रस्त को हस्तांतरित ना किये जाने के संबंध में कोई निषेधाज्ञा विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के विरूद्ध जारी की गयी थी। ऐसी स्थिति में मिन उत्तरदातागण के पक्ष में 21.1.98 को निष्पादित किये गये विक्रय पत्र को विधि विरूद्ध अथवा प्रभाव शून्य होना नहीं माना जा सकता। भूमि विवादग्रस्त से वादीगण अथवा उनके हक पूर्वाधिकारी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा और ना ही उनके नाम राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज रहे और उन्होंने कभी भूमि विवादग्रस्त पर काबिज रहकर काश्त नहीं की। 12 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर पहले विक्रेतागण तथा उन्नकेपश्चात् क्रेतागण उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 4 व 5 काबिज रहकर काश्त करते रहे और इसलिये यदि भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के किसी प्रकार के कोई अधिकार यदि थे भी तो वे समाप्त हो चुके और उन्हें दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण अथवा उनके हक पूर्वाधिकारी का कभी वास्तविक कब्जा नहीं रहा। वास्तविक कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा कब्जे के संबंध में पारिणामिक अनुतोष चाहे बिना चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 21.1.98 को प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 तथा रामसुख उर्फ रामस्वरूप पुत्र गोपी ने साबिका खसरा नम्बर 491 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 611 रकबा 0.89 हैक्टे0, 612 रकबा 0.80 हैक्टे० व 635 रकबा 0.15 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 1.84 हैक्टे0 में अपना सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय कर कब्जा संभलाया है जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 50 दिनांक 7.4.98 को उत्तरदाता के नाम तस्दीक किया जाकर राजस्व भू–अभिलेखों में उत्तरदाता का नाम अंकित किया जा चुका है। दिनांक 20.01.2014 को निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक निग/TA/11737/2007 जयपुर दिनांक 26.06.2013 द्वारा न्यायालय आदेश 19.11.2007 को यथावत रखा गया है। पत्रावली संशाधित उनवान पेश हेतु नियत की गई। संशोधित उनवान पेश किया शामिल मीसल किया गया। पत्रावली तनकीयात हेतु नियत

Scanned with CamScanner

की गई। दोनो पक्षो के अभिवचनों के अनुसार दिनांक 27.03.2023 को निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 125, 165/1, 165/2, 167, 168, 113, 70, 75, 124, 169, 183 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर के खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 रामेश्वर के पिता सूरजमल एवं औकार पुत्र जानकीलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे। जिसमें वादीगण 3/4 भाग व प्रतिवादी नम्बर 1/4 भाग अनुसवार को–टिनेन्ट है।

   जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 491 के 1/2 भाग में वादीगण 3/4 व प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर 1/4 भाग के अनुसार को–टिनेन्ट है।

   जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 21.01.1998 व दौराने वाद हुए अन्य विक्रय पत्र भी बमुकाबले वादीगण प्रभाव शुन्य है।

   जिम्मे वादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 169, 168 को छोडकर शेष भूमि का बंटवारा किया जावे और खसरा नम्बर 165/1 पर वादीगण का कब्जा बहाल रखते हुए वादीगण को उनके हिस्सें 3/4 की भूमि अलग की जाकर वादीगण का कब्जा कराया जावे तथा लगान निर्धारण किया जावे।

   जिम्मे वादीगण

5. आया वादग्रस्त भूमि में सूरजमल के नाम की कोई जमीन नही है और न ही सूरजमल कभी खुदकाश्त करते थे। वे तो सांगनेर में नौकरी करते थे। इसलिए काश्त की जमीन का कोई सवाल ही उत्पन्न नही होता है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3

6. आया प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर औंकार के संवत 1956 में ही गोद चला गया था। औकार की जायजाद से वादीगण का हक का सवाल ही उत्पन्न नही होता प्रतिवादी नम्बर 1 उसके गोद चले जाने से उसका उत्तराधिकारी होने के कारण अकेंला ही मालिक है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण 1/1 से 1/3

7. आया कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण 4 व 5

8. आया प्रतिवादीगण का कब्जा मुखलफाना दी जाने के कारण वादी वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण 4 व 5

तनकीयात किये जाने के पश्चात प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया । वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र राधेश्याम पुत्र श्री सूरजमल शर्मा ,प्रहलाद किशोर पुत्र श्री सूरजमल, सत्यनारायण पुत्र स्व0 मन्नालाल, गिरराज पुत्र मोहनलाल, गोविन्दी पत्नी सीताराम, रूकमणी देवी पत्नी मोहनलाल पीडब्लू साक्ष्य पेश किये। जिरह प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी के साक्ष्य शपथ पत्र लल्लूनारायण पुत्र श्री रामेश्वर, संजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, श्रीमति चन्द्रमणी गुप्ता धर्मपत्नी श्री संजय का पेश किया। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्षकारान सूनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र, मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने मौखित साक्ष्य के आधार पर वाद को सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 31/05/1961 प्रदर्श संख्या 1, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 प्रदर्श संख्या 2, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2017 प्रदर्श संख्या 3, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 प्रदर्श संख्या 4, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 प्रदर्श संख्या 5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2019 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 प्रदर्श संख्या 7, मूल रसीद क्रमांक 35601/000023 बाबत सम्वत् 2033 प्रदर्श संख्या 8, मूल रसीद लगान क्रमांक 35601/000022 प्रदर्श संख्या 9, मतदाता सूची हवा महल विधान सभा क्षेत्र भाग संख्या 45 वार्ड संख्या 18 प्रदर्श संख्या 10, सत्य प्रति बयान रामेश्वर पुत्र सूरजनारायण मुकदमा नम्बर 216/72 दिनांक 12/04/1978 प्रदर्श संख्या 11, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2033 प्रदर्श संख्या 12 एवं प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/01/1998 द्वारा गेंदी देवी, लल्लू नारायण, संजय कुमार बहक डॉ. सुनील राणावत व संध्या राणावत प्रदर्श संख्या 13 पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–डी–1, खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2018 प्रदर्श–डी–2, खसरा गिरदावरी संवत 2019 से 2021 प्रदर्श–डी–3, खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 2035 प्रदर्श–डी–4, नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 31.05.1961 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–डी–5, नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 11.11.1991 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–प्रदर्श–डी–6, पर्चा लगान प्रदर्श–डी–7, खतौनी बन्दोबस्त बर्ष 1989 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–डी–9, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–डी–8, जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 तथा लगान जो राज्य सरकार को अदा करते थे, फर्द मौका रिपोर्ट कार्यवाही दिनांक 26.03.2009 व दिनांक 02.04.2009 की प्रमाणि प्रतिलिपि तथा मूल लगान रसीद कुल किता 12 जो प्रदर्श–डी–10, प्रदर्श–डी–11, प्रदर्श–डी–12, प्रदर्श–डी–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किये है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में रूलिंग्स पेश किये है जो कि इस प्रकार है

Law to Relating to case- Suit for Delclaration or khatedari Rights Bruden is on plaintiff to prove his own case

1972 RRD(para 4) Burden lies on kptff to establish his case and cannot take advantage of any weakness in the stand] taken by deft.

Section 5(43) Word tentant defined……. From whom rent is but for a contract express or implied payable.

Pleadings- Absence of pleadings in written statement on an issue- No evidence can be looked into in relation thereto .

1985 RRD (para 16)– Variance between pleading and proof of deft. That deft had at best stepped into shoes of mortagagor and could bring suit for redemption.

1996 RRD (paras 10 to 13)– Plaintiff failed to establish his prossession on the disputed land.

RRT 2019 (1) (para 8,9) भूमि काश्त करने का सबूत नही।

RRT 2023 (2) (para 9,10)-khasra no 527 was recorded in name of jagirdar as khudkhast -no sufficient material on record to prove possession of the plaintiff

Scanned with CamScanner

प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व तनकीवार विवेचन किया जाना उचित समझते है।

तनकीसंख्या 1 – इस तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 125, 165/1, 165/2, 167, 168, 113, 70, 75, 124, 169, 183 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर के खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 रामेश्वर के पिता सूरजमल एवं औकार पुत्र जानकीलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे। जिसमें वादीगण 3/4 भाग व प्रतिवादी नम्बर 1/4 भाग अनुसार को–टिनेन्ट है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 31/05/1961 प्रदर्श संख्या 1, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 प्रदर्श संख्या 2, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2017 प्रदर्श संख्या 3, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 प्रदर्श संख्या 4, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 प्रदर्श संख्या 5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2019 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 प्रदर्श संख्या 7, मूल रसीद क्रमांक 35601/000023 बाबत सम्वत् 2033 प्रदर्श संख्या 8, मूल रसीद लगान क्रमांक 35601/000022 प्रदर्श संख्या 9, मतदाता सूची हवा महल विधान सभा क्षेत्र भाग संख्या 45 वार्ड संख्या 18 प्रदर्श संख्या 10, सत्य प्रति बयान रामेश्वर पुत्र सूरजनारायण मुकदमा नम्बर 216/72 दिनांक 12/04/1978 प्रदर्श संख्या 11, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2033 प्रदर्श संख्या 12 एवं प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/01/1998 द्वारा गेंदी देवी, लल्लू नारायण, संजय कुमार बहक डॉ. सुनील राणावत व संध्या राणावत प्रदर्श संख्या 13 पेश की है। वादीगण का इस सम्बंध में तर्क रहा है कि वादीगण उक्त आराजीयात को बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार काबिज रह कर काश्त करते थे अथार सूरजमल, औकार का 1/2 भाग तथा भूरा पुत्र राजकुमार का 1/2 भाग था। उक्त विवेचन अनुसार यह तनकी को वादीगण पूर्णतया साबित नहीं कर पाये है। रामेश्वर पुत्र सूरजमल व ओंकार पुत्र जानकीलाल दोनों की भूमि में हिस्सा 3/4 चाहता है रिकॉर्ड से वादीगण पैत्रक होना साबित नहीं कर पाया ओंकार पुत्र जानकीलाल से यह कोई संबंध नहीं बता पाए ओकार पुत्र जानकीलाल के द्वारा रामेश्वर को गोद लेना नामांन्तकरण संख्या 30 से साबित होता है इस नामांन्तकरण के द्वारा ओंकार पुत्र जानकीलाल की जमीन रामेश्वर पुत्र सूरजमल के नाम सही दर्ज हुई है फिर भी न्यायालय रामेश्वर के नाम सीधे दर्ज हुई जमीन को पेत्रक मानता है इसलिए ओंकार पुत्र जानकी लाल की जमीन को छोड़ते हुए रामेश्वर के नाम लगी जमीन में रामेश्वर के ओंकार के गोद को सही मानते हुए रामेश्वर के सीधे लगी जमीन में वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं ओंकार की जमीन रामेश्वर पुत्र सूरजमल को खातेदार काश्तकार मानते हुए तनकी संख्या एक आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है एवं आंशिक रूप से प्रतिवादीगण पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है साबिक खसरा नंबर 491 हाल खसरा नंबर 611, 612, 635 कुल कितना 3 कुल रकबा 1.84 है0 में ओंकार पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/2 होने पर एवं रामेश्वर पुत्र सूरजमल के ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद जाने पर रामेश्वर के वारिसान को खातेदार काश्तकार मानते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को हुए विक्रय को वैध मानते हुए तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पंक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 – इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के पक्ष

Scanned with CamScanner

में किया गया बेचान दिनांक 21.01.1998 व दौराने वाद हुए अन्य विक्रय पत्र भी बमुकाबले वादीगण प्रभाव शुन्य है। रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 1/3 ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा लिया तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 491 के नये खसरा नम्बर 611, 612 व 635 कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 है0 को जरिये रजिंस्टर्ड विक्रय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान वैध है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 – इस तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का इस सम्बंध में कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 169, 168 को छोडकर शेष भूमि का बंटवारा किया जावे और खसरा नम्बर 165/1 पर वादीगण का कब्जा बहाल रखते हुए वादीगण को उनके हिस्सें 3/4 की भूमि अलग की जाकर वादीगण का कब्जा कराया जावे तथा लगान निर्धारण किया जावे। वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 169 में मंदिर हे तथा खसरा नम्बर 165/1 में वादीगण का मकान बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 168 गैर मुमकिन रास्ता है। रामेश्वर पुत्र सूरजमल व ओंकार पुत्र जानकीलाल दोनों की भूमि में हिस्सा 3/4 चाहता है रिकॉर्ड से वादीगण इसका पैत्रक होना साबित नहीं कर पाया होकर पुत्र जानकी लाल से यह कोई संबंध नहीं बता पाए होकर पुत्र जान के लाल के द्वारा रामेश्वर को गोद लेना नामांकन संख्या 30 से साबित होता है इस नामांकन के द्वारा ओंकार पुत्र जानकी लाल की जमीन रामेश्वर पुत्र सूरजमल के नाम सही दर्ज हुई है फिर भी न्यायालय रामेश्वर के नाम सीधे दर्ज हुई जमीन को पेत्रक मानता है इसलिए ओंकार पुत्र जानकी लाल की जमीन को छोड़ते हुए रामेश्वर के नाम लगी जमीन में रामेश्वर के ओंकार के गोद को सही मानते हुए रामेश्वर के सीधे लगी जमीन में वादीगण को हिस्सा 1/3 1/31/3 का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्धारित की जाती है आंशिक रूप से प्रतिवादी पक्ष में निर्धारित की जाती है

तनकी संख्या 5– इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादग्रस्त भूमि में सूरजमल के नाम की कोई जमीन नही है अैर न ही सूरजमल कभी खुदकाश्त करते थे। वे तो सांगनेर में नौकरी करते थे। वादीगण के पिता सूरजमल द्वारा अनौपचारिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खेती करना प्रतीत होने व ओंकार पुत्र जानकीलाल की जमीन पर रामेश्वर द्वारा खेती करना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात आंशिक प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा आंशिक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 6– इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस सम्बंध में जानकीलाल के द्वारा रामेश्वर को गोद लेना नामांकन संख्या 30 से साबित होता है इस नामांकन के द्वारा ओंकार पुत्र जानकी लाल की जमीन रामेश्वर पुत्र सूरजमल के नाम सही दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध में तय की जाती है।

तनकी संख्या 7– इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 पर है। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का कथन किया है कि कब्जे के अभाव में वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादी बिना कब्जे के दावे के काबिज चलाने के नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 491 के नये खसरा नम्बर 611, 612 व 635 कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 है0 को जरिये रजिंस्टर्ड विक्रय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बेचान कर दिया। बेचान की गई भूमि पर प्रतिवादी संख्या

Scanned with CamScanner

4 व 5 कब्जा है। रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 1/3 ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा लिया तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 491 के नये खसरा नम्बर 611, 612 व 635 कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 है0 को जरिये रजिंस्टर्ड विक्रय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान वैध है। बेचान की गई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कब्जा है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात आंशिक प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के पक्ष में निर्णित की जाती हे। तथा रामेश्वर मूल रूप से स्वय के नाम वादी जमीन में वादीगण के नाम मानते हुए आंशिक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 8– इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 पर है। प्रतिवादीगण का कथन रहा कि प्रतिवादीगण का कब्जा मुखलफाना दी जाने के कारण वादी वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। मिन उत्तरदातागण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने बाकायदा प्रतिफल अदा कर भूमि विवादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकारों से साबिका खसरा नम्बर 491 जिसके नये नवर 611, 612 व 635 कुल रकबा 1.84 हैक्टे० बने हैं को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा नियमानुसार क्रय किया है और भूमि विवादग्रस्त को क्रय करने के पश्चात् नियमानुसार क्रय की गयी भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया है। कब्जे के अभाव में वादीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। पूर्व तनकीयात के निर्णय के आधार पर उक्त तनकी आंशिक प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा आंशिक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अतः वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाकर साबिक खसरा खसरा नम्बरान 124, 103, 169 जो की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगी हुई थी उसके नए खसरा नम्बर को सम्मिलित खातेदारी की मानते हुए रामेश्वर को ओंकार पुत्र जानकीमल के गोद जाने के कारण रामेश्वर को सूरजमल का वारिस नहीं मानते हुए तीनों वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साबिक खसरा नम्बरान 75, 103, के नये खसरा नम्बरान जो की प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर व ओंकार पुत्र जानकीलाल का हिस्सा 1/2–1/2 थी उसमें रामेश्वर का हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामेश्वर को ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद चले जाने पर वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रामेश्वर हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हो बाकी हिस्सा 1/2 ओंकार पुत्र जानकीलाल के स्थान पर रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, साबिक खसरा नम्बर 70, 125, 165/1, 165/2, 167, 169 जो कि ओंकार पुत्र जानकीलाल की खातेदारी में थी उसमें रामेश्वर एवं उसके वारिसान 1/1 लगायत 1/3 को रामेश्वर के ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद पुत्र मानते हुए काश्तकार माना जाता है। साबिक खसरा नंबर 491 जिसमें गुल्ली का हिस्सा 1/2 एवं ओंकार पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/2 था उसके हाल खसरा नम्बरान 611, 612, 635 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर मैं औंकार पुत्र जानकीलाल का हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामेश्वर पुत्र सूरजमल के ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद जाने पर रामेश्वर व रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 को खातेदार मानते हुए एवं रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा खसरा नम्बर 611, 612, 635 कुल रकबा 1.84 है0 में हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण का विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को होने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को खातेदार व काश्तकार मानते हुए वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा हुए विक्रय को वैध मानते हुए वर्तमान जमाबन्दी में लगे नामान्तकरण संख्या के नोट को हाल जमाबन्दी में अमल कर क्रेतागणो के पक्ष में

Scanned with CamScanner

खातेदारी प्रदान करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय के मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/25

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी**, सॉगानेर (द्वितीय) मुकाम सॉगानेर जयपुर व इजलास **पीठासीन अधिकारी का नामः–श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.**

वाद दावा संख्या : 240/2013 (659/1996)

पारित डिक्री दिनांक : 12.08.2025

उनवान

1. मोहनलाल शर्मा
2. राधेश्याम शर्मा
3. प्रहलाद किशोर शर्मा
4. पुत्र श्री सूरजमल शर्मा जाति ब्राम्हण, साकिन श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर हाल जयपुर मकान नम्बर 2021 तोलाराम पालीवाल की गली, नाहरगढ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सूरजमल जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर।(दौराने वाद मृतक)

1/1 लल्लूनारायण पुत्र रामेश्वर

1/2 संजय कुमार पुत्र रामेश्वर

1/3 गैंदी देवी बेवा रामेश्वर

समस्त जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर।

2. श्रीमती गुल्ली बेवा घासी पुत्र भूरा जाति ब्राम्हण निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदारजी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. डॉ सुनीत राणावत पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
5. श्रीमती संध्या राणावत पुत्र स्व0 श्री सूनीत राणावत

निवासीयान म0न0 47, सुरेन्द्र पाल कॉलोनी, न्यु सांगानेर रोड, सोडाला

6. रामसहाय पुत्र नारायण, जाति ब्राम्हण, निवासी कोकावास तहसील सांगानेर,जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकासमा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाकर साबिक खसरा खसरा नम्बरान 124, 103, 169 जो की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगी हुई थी उसके नए खसरा नम्बर को सम्मिलित खातेदारी की मानते हुए रामेश्वर को ओंकार पुत्र जानकीमल के गोद जाने के कारण रामेश्वर को सूरजमल का वारिस नहीं मानते हुए तीनों वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साबिक खसरा नम्बरान 75, 103 के नये खसरा नम्बरान जो की प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर व ओंकार पुत्र जानकीलाल का हिस्सा 1/2–1/2 थी उसमें रामेश्वर का हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामेश्वर को ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद चले

Scanned with CamScanner

जाने पर वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रामेश्वर हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हो बाकी हिस्सा 1/2 ओंकार पुत्र जानकीलाल के स्थान पर रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साबिक खसरा नम्बर 70, 125, 165/1, 165/2, 167, 169 जो कि ओंकार पुत्र जानकीलाल की खातेदारी में थी उसमें रामेश्वर एवं उसके वारिसान 1/1 लगायत 1/3 को रामेश्वर के ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद पुत्र मानते हुए काश्तकार माना जाता है। साबिक खसरा नंबर 491 जिसमें गुल्ली का हिस्सा 1/2 एवं ओंकार पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/2 था उसके हाल खसरा नम्बरान 611, 612, 635 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर मैं औंकार पुत्र जानकीलाल का हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामेश्वर पुत्र सूरजमल के ओंकार पुत्र जानकीलाल के गोद जाने पर रामेश्वर व रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 को खातेदार मानते हुए एवं रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा खसरा नम्बर 611, 612, 635 कुल रकबा 1.84 है0 में हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण का विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को होने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को खातेदार व काश्तकार मानते हुए वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा हुए विक्रय को वैध मानते हुए वर्तमान जमाबन्दी में लगे नामान्तकरण संख्या के नोट को हाल जमाबन्दी में अमल कर क्रेतागणो के पक्ष में खातेदारी प्रदान करने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत	1	00	महन्ताना वकील	1	00
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner